फर्द अहकाम

जोगेन्द्र कुमार बनाम कजोड मल और

नाम न्यायालय–

केस सं०– 16/2017 वाद

दिनांक	आज्ञा विस्तृत रुप से	वि०वि०
16/12/21	[illegible] 2021 [illegible] पेश हुआ। [illegible] आदेशानुसार दिनांक 02/02/22 को पेश हो।	
02/2/22	[illegible] ऑफीसर दौरे / अवकाश [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 28/3/22 को पेश हो।	
28/3/22	[illegible] ऑफीसर दौरे / अवकाश [illegible] अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 06/5/22 को पेश हो।	
6/5/22	[illegible] ऑफीसर दौरे / अवकाश [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 30/6/22 को पेश हो।	
30/6/22	वकिलों द्वारा आज कण्डोलेंस / कार्य स्थगित [illegible] से पत्रावली गत आज्ञानुसार दिनांक 22/8/22 को पेश हो।	
19/7/22	आज यह पत्रावली प्रा. पत्र विड्रा का पेश करने पर तलब की गयी। वादी मय अधिवक्ता उपस्थित होकर निवेदन किया कि पक्षकारों के मध्य आपसी सहमती से राजीनामा हो गया है। प्रकरण [illegible] कोई कार्यवाही नहीं चाहते [illegible] किये जाने की अनुमति दिये जाने का [illegible] किया। वादी की पहचान उनके अधिवक्ता [illegible] वकील द्वारा की गयी। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी के वाद को विड्रा किये जाने की अनुमति दी जाती है। वादी का वाद विड्रा के आधार पर खारिज किया जाता है। पत्रावली डमी नम्बर से रूम होकर दाखिल दफ्तर हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Khetan
Date: 2022.12.19 12:27:20 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
चौमूं (जयपुर)